



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 181) पटना, मंगलवार, 5 अप्रील 2022

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

5 अप्रील 2022

सं० 11/उत्पाद नीति-01-03/2021/2458—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (1) यह नियमावली बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 कहलाएगी।
- (2) यह नियमावली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और सभी लंबित मामलों पर लागू होगा।

2. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12 (परिसरों को सीलबंद करना) का प्रतिस्थापन :- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 का नियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“12. परिसरों को सीलबंद करना:- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी परिसर (पूरे या उसके किसी भाग) में कोई अपराध होता हो या किया गया हो तो अधिनियम की धारा-73 के अर्थान्तर्गत कोई पदाधिकारी तुरत परिसर (पूरे या उसके किसी भाग) को सीलबंद कर सकेगा।

यहाँ “तुरत” से अभिप्रेत है कि छापा के दौरान ही सीलबंद किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने के 24 घंटे के अंदर सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी।

(2) सीलबंद करने के 24 घंटे के अंदर इसे कलक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) यदि प्रयुक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सके तो पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी कलक्टर से आदेश प्राप्त कर यथासंभव शीघ्रता से अस्थायी संरचना को ध्वस्त कर देगा।

(4) जहाँ किसी परिसर या उसके किसी भाग में किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, बोटलबंद, वितरण, संग्रहण, भंडारण, विक्रय, आयात, निर्यात या परिवहन होता हो या किया गया हो तो ऐसे परिसरों को पूर्ण रूप से सीलबंद कर दिया जाएगा।

(5) जहाँ तक संभव हो केवल वह भाग या निजी आवासीय परिसर जिसे अपराध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, को ही सीलबंद किया जाएगा न कि पूरे परिसर या सम्पूर्ण आवास को।

(6) जहाँ किसी आवासीय परिसर या उसके किसी भाग का उपयोग दूसरे व्यक्तियों को मादक द्रव्य (द्रव्यों) के सेवन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा हो तो ऐसे परिसरों को अनिवार्य रूप से सीलबंद कर दिया जाएगा।”

स्पष्टीकरण:— यदि कोई परिसर विभिन्न स्वामित्व वाले अनेक इकाई से बना हो तो केवल विशिष्ट इकाई जहाँ अपराध किया गया हो, सीलबंद किए जाने का भागी होगा।

3. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12 के पश्चात् एक नया नियम 12क का अन्तःस्थापन:— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12 के पश्चात् एक नया नियम 12क निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा:—

“12क. शास्ति के भुगतान पर वाहनों, सवारी आदि को छोड़ना:— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी पुलिस या उत्पाद पदाधिकारी द्वारा किसी वाहन, सवारी, बर्तन, पशु आदि जब्त किया गया हो तो इस अधिनियम की धारा-57(ख) के निबंधनों के अनुसार कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी उक्त सवारी या वाहन आदि के स्वामी से प्रपत्र IV में आवेदन प्राप्त कर उक्त सवारी या वाहन को ऐसी शास्ति के भुगतान करने पर छोड़ सकेगा जो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेशित किया जाय।

परन्तु जहाँ वाहन के स्वामी का अभिनिश्चय करना संभव नहीं है या स्वामी वाहन का दावा करने के लिए नहीं आता है तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जब्ती की तिथि से 15 दिनों तक इंतजार करने के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वाहन के अधिहरण और नीलामी की कार्यवाही करेगा।

(2) शास्ति, वाहन/सवारी के नवीनतम बीमाकृत मूल्य के 50 प्रतिशत होगी। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित वाहन का मूल्य बीमाकृत मूल्य होता है। जहाँ बीमाकृत मूल्य उपलब्ध नहीं हो या कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि वाहन का मूल्य कम आँका गया है तो वह जिला परिवहन पदाधिकारी से उसका मूल्य निर्धारित करवाएगा और उस मूल्य का 50 प्रतिशत शास्ति की रकम होगी।

किसी भी दशा में कलक्टर जब्ती तिथि से 15 दिन से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान अभियुक्त/स्वामी शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो वह अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही करेगा।

(3) ऊपर किसी बात के होते हुए भी यदि पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के रिपोर्ट पर कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि वाहन या सवारी को छोड़ा जाना लोक हित में नहीं है तो वह उक्त वाहन या सवारी के अधिहरण की और तत्पश्चात् उसकी नीलामी/निपटान की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(4) जहाँ सवारी ऐसी हो कि उसका मूल्यांकन/बीमा संभव नहीं हो तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसा जुर्माना अधिरोपित करेगा जो वह उचित समझे। ऐसा जुर्माना लगाते समय कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति तथा बरामद किए गए मादक द्रव्य की मात्रा को ध्यान में रखेगा।

(5) ऐसी शास्ति, विचारण यदि कोई हो, के परिणाम को ध्यान में रखे बिना विशेष न्यायालय के समक्ष वापसी योग्य नहीं होगी।

(6) वाहन/सवारी का स्वामी, वाहन/सवारी को छोड़े जाने के पश्चात् प्राधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वाहन/सवारी को प्रस्तुत करेगा।”

[स्पष्टीकरण]—वाहनों का अधिहरण/नीलामी संबंधी सभी लंबित/चालू मामलों में कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूर्वोक्त शास्ति का भुगतान करने और वाहन मुक्त पाने के लिये वर्तमान मालिक को एक अवसर प्रदान कर सकेगा। स्वामित्व और ऐसे शास्ति का भुगतान के ऊपर संतुष्टि होने पर चल रही अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही बन्द की जा सकेगी और वाहन मुक्त किया जा सकेगा।]

4. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12क के पश्चात् नियम 12 ख का अन्तःस्थापन:— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12क के पश्चात् एक नया नियम 12ख निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा :-

“12ख. शास्ति के भुगतान पर परिसर को छोड़ा जाना:— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी पुलिस या उत्पाद पदाधिकारी द्वारा किसी परिसर या उसके किसी भाग को जब्त या सीलबंद किया गया हो तो अधिनियम की धारा-57 ख (2) के निबंधनों के अनुसार कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी उक्त परिसर के स्वामी से प्रपत्र V में आवेदन प्राप्त कर उक्त परिसर या उसके किसी भाग को ऐसी शास्ति के भुगतान पर छोड़ सकेगा या सीलमुक्त कर सकेगा जो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेशित किया जाय।

परन्तु जहाँ परिसर के स्वामी का अभिनिश्चय करना संभव नहीं है या स्वामी आगे नहीं आता है तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जब्ती/सीलबंद करने की तिथि से 15 दिनों का इंतजार करने के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिसर के अधिहरण की कार्यवाही करेगा।

(2) कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति, परिसर की अवस्थिति और बरामद मादक द्रव्यों की मात्रा को व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की राशि का निर्णय करते समय ध्यान में रखेगा। किन्तु किसी भी दशा में जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।

किसी भी दशा में कलक्टर जब्ती/सीलबंद करने की तिथि से 15 दिनों से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान अभियुक्त/स्वामी शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो जब्ती/नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

(3) ऊपर किसी बात के होते हुए भी यदि पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के रिपोर्ट पर कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि परिसर को छोड़ना लोक हित में नहीं है तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उक्त परिसर या उसके भाग का अधिहरण और तत्पश्चात् उसकी नीलामी/निपटान की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(4) ऐसी शास्ति, विचारण यदि कोई हो, के परिणाम को ध्यान में रखे बिना विशेष न्यायालय के समक्ष वापसी योग्य नहीं होगी।

(5) परिसर का स्वामी, परिसर को छोड़े जाने के पश्चात् प्राधिकारियों द्वारा जब कभी वांछित हो परिसर के निरीक्षण की अनुमति देगा।”

[स्पष्टीकरण—परिसरों का अधिहरण/नीलामी संबंधी सभी लंबित/चालू मामलों में कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूर्वोक्त शास्ति का भुगतान करने और परिसर मुक्त पाने के लिये वर्तमान मालिक को एक अवसर प्रदान कर सकेगा। स्वामित्व और ऐसे शास्ति का भुगतान के ऊपर संतुष्टि होने पर चल रही अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही बन्द की जा सकेगी और परिसर मुक्त किया जा सकेगा।]

5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13 (पशु/वाहन/ बर्तन/अन्य सवारी की जब्ती) का प्रतिस्थापन— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“13. परिसर/वाहनों आदि की जब्ती जब शास्ति पर नहीं छोड़ा जाय:— जब कभी कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी पाता है कि शास्ति का भुगतान करने पर वाहन/परिसर को छोड़ा जाना उचित या संभव नहीं है या जब स्वामी/अभियुक्त ऐसे वाहन/परिसर की जब्ती/सीलबंद करने के दो सप्ताह के अंदर शास्ति की राशि जमा करने में विफल रहता है तो वह नियम 13क, नियम 13ख और नियम 14 के निबंधनों के अनुसार ही अधिहरण और नीलामी की कार्यवाही करेगा।”

6. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13 के पश्चात् एक नया नियम 13क का अन्तःस्थापन— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13 के पश्चात् एक नया नियम 13क निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

“13क. वाहन/सवारी आदि के अधिहरण की प्रक्रिया :—

(1) जहाँ कलक्टर द्वारा यह विनिश्चित किया जाता है कि वाहन को शास्ति के भुगतान पर नहीं छोड़ा जाना है या जहाँ स्वामी अपेक्षित शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। सवारी के अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा कलक्टर (या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी) को जब्ती की तिथि से 30 दिनों के अंदर भेजा जाएगा। सम्बद्ध पदाधिकारी अधिहरण की कार्यवाही तुरत प्रारंभ करेगा।

अधिहरण का प्रस्ताव देने में 30 दिनों से अधिक विलंब होने की दशा में पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी को विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा।

(2) पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी से किसी वाहन (वाहनों) या अन्य सवारियों के अधिहरण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्बद्ध पदाधिकारी उक्त वाहन या बर्तन या अन्य सवारी के स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। साथ-साथ वह जिला परिवहन पदाधिकारी और रसायन परीक्षक को उनके प्रतिवेदन के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) पदाधिकारी द्वारा जारी ऐसी नोटिस का तामीला, समन की तामील के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कराया जाएगा। वह जिला परिवहन पदाधिकारी या सवारी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और जब्ती के 30 दिनों के अन्दर रासायनिक परीक्षक का रिपोर्ट लेगा।

(4) पदाधिकारी, स्वामी को सुने जाने का समुचित अवसर प्रदान करेगा। ऐसी सुनवाई में अन्वेषक/जाँच पदाधिकारी को भी भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

(5) यदि वह व्यक्ति जिसे विधिमान्य रूप से सुनवाई की नियत तिथि का नोटिस तामीला करायी गयी है, सुनवाई के लिए नियत लगातार दो तिथियों में कार्यवाही में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अधिहरण प्राधिकारी एकपक्षीय आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा।

(6) पक्षकारों को सुनने के पश्चात् पदाधिकारी का समाधान होने पर कि अधिनियम के निबंधनों के अनुसार अपराध किया गया है, यथास्थिति जब्त किए गए वाहन या बर्तन या सवारी के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा।

(7) पदाधिकारी वाहन की जब्ती के 90 दिनों के अंतर्गत अधिहरण आदेश पारित हो जाना सुनिश्चित करेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इन नियमों में विहित रीति से अपील दाखिल कर सकेगा।”

7. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13क के पश्चात् एक नया नियम 13ख का अन्तःस्थापन:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 13क के पश्चात् एक नया नियम 13ख निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

“13ख परिसर के अधिहरण की प्रक्रिया:- (1) जहाँ कलक्टर द्वारा यह विनिश्चित किया जाता है कि परिसर को शास्ति के भुगतान पर नहीं छोड़ा जाना है या जहाँ स्वामी अपेक्षित शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। परिसर के अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा कलक्टर (या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी) को जब्ती/सीलबंद करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भेजी जाएगी। सम्बद्ध पदाधिकारी तुरत अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अधिहरण का प्रस्ताव देने में 30 दिनों से अधिक विलंब होने की दशा में पुलिस/ उत्पाद पदाधिकारी को विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा।

(2) पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी से किसी परिसर या उसके किसी भाग या अधिहरण के भागी किसी संपत्ति के अधिहरण के प्रस्ताव की प्राप्ति पर सम्बद्ध पदाधिकारी परिसर या संपत्ति के स्वामी (स्वामियों) को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। साथ-साथ वह रसायन परीक्षक अथवा ऐसे राजस्व पदाधिकारी को उनके प्रतिवेदन के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) पदाधिकारी द्वारा जारी ऐसी नोटिस का तामीला समन की तामील के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कराया जाएगा।

(4) पदाधिकारी, परिसर या संपत्ति के स्वामी (स्वामियों) को सुने जाने का समुचित अवसर प्रदान करेगा। ऐसी सुनवाई में अन्वेषक/जाँच पदाधिकारी को भी भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

(5) यदि वह व्यक्ति जिसे विधिमान्य रूप से नोटिस तामीला करायी गयी है, सुनवाई के लिए नियत लगातार दो तिथियों में कार्यवाही में उपस्थित रहने में विफल रहता है तो अधिहरण प्राधिकारी एकपक्षीय आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा।

(6) पक्षकारों को सुनने के पश्चात् पदाधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर कि क्या अधिनियम के निबंधनों के अनुसार अपराध किया गया है अथवा नहीं, सीलबंद/जब्त परिसर या संपत्ति की बाबत यथास्थिति अधिहरण या सीलमुक्त करने का समुचित आदेश पारित करेगा।

(7) पदाधिकारी परिसर की जब्ती/सीलबंदी के 90 दिनों के अंदर अधिहरण आदेश पारित हो जाना सुनिश्चित करेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इन नियमों में विहित रीति से अपील दाखिल कर सकेगा।”

8. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 (जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान) का प्रतिस्थापन :- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“14. जब्त/अधिहृत वस्तुओं की नीलामी अथवा नष्टकरण:- कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान, नीलामी या नष्टकरण दोनों में से एक द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

(1) यदि कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि कोई जब्त वस्तु तेजी से और प्राकृतिक रूप से नष्ट होने का भागी है या तुच्छ मूल्य का है या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या लोक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले हैं या सार्वजनिक स्थान लेने वाले हैं तो वह अधिनियम की धारा-57 और धारा-57क के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिहरण का आदेश पारित करने के पूर्व उसे किसी भी समय नष्ट करने का आदेश दे सकेगा। कलक्टर या सम्बद्ध पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी जब्त शराब को लम्बे समय तक भंडारित रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सुनिश्चित करेगा कि उक्त शराब को रसायनज्ञ का रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी जब्ती के 15 दिनों के अन्दर नष्ट कर दिया जाता है।

(2) अधिहृत पशु/वाहन/बर्तन/अन्य सवारी/परिसर या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाएगा और अधिहरण प्राधिकारी के आदेश की परिसमाप्ति की तिथि से एक माह या ऐसी बड़ी हुई तिथि जो कलक्टर/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उचित समझी जाय, के अन्दर सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा या विहित रीति से सरकारी उपयोग के लिए रखा जा सकेगा।

(3) नीलामी से पूर्व कलक्टर या पदाधिकारी, वाहन/सवारी/परिसर का मूल्यांकन कराएगा। तत्पश्चात् वह कम से कम एक स्थानीय/देशी भाषा के समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से बोली (बिड) आमंत्रित करेगा। जहाँ नीलामी के पहले प्रयास में किसी विशेष वस्तु के लिए वह कोई बोली प्राप्त नहीं करता हो तो वह दुबारा बोली आमंत्रित कर सकेगा। यदि ऐसे तीन प्रयासों के बाद भी कोई बोली लगाने वाला नहीं मिले तो वह उक्त वाहन/सवारी का “जैसे है जहाँ है” आधार पर निपटान कर सकेगा, चाहे उसका मूल्यांकन कुछ भी हो।

स्पष्टीकरण:- ऊपर उप नियम (2) में “परिसमाप्ति” शब्द इस अधिनियम की धारा- 92 के अधीन पारित उत्पाद आयुक्त के आदेश की तिथि की ओर संकेत करता है।

9. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 18 का प्रतिस्थापन :- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 का नियम 18 (अध्याय 10- गिरफ्तारी और अभियोजन की प्रक्रिया) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“18. शराब के उपभोग के लिए गिरफ्तारी और जाँच आदि:- (1) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा-37 के अधीन पहली बार गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी द्वारा तुरत सम्यक् रूप से प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी जाँच करेगा तथा प्रपत्र VI में एक रिपोर्ट समर्पित करेगा। जाँच करते समय सम्बद्ध पदाधिकारी अभियुक्त की पहचान, उसके पहचान-पत्र आदि का अभिनिश्चय करेगा और उल्लिखित करेगा कि क्या अभियुक्त गिरफ्तारी के दौरान सहयोग किया है, चिकित्सीय जाँच या श्वसन (ब्रेथ) विश्लेषण हेतु अपने को समर्पित किया है और क्या वह सार्वजनिक उपद्रव करते हुए या उग्र व्यवहार करते हुए पाया गया था।

(3) रिपोर्ट तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रपत्र VI में अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यूनतम 2000 रुपये तथा अधिकतम 5000 रुपये के जुर्माने के भुगतान या अभियुक्त द्वारा भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के साधारण कारावास का दंडादेश दिया जा सकेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रपत्र VII में आदेश-पत्र का फार्मेट दिया गया है।

परन्तु जहाँ पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी अपने रिपोर्ट में प्रार्थना करता है कि अभियुक्त को जुर्माने के भुगतान पर नहीं छोड़ा जाय तथा उसका कारण देता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि के अधीन अभियुक्त को 30 दिनों के साधारण कारावास के लिए सुपुर्द करेगा।

(4) इस अधिनियम की धारा-37 के अधीन यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जहाँ यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नोटिस में आता है कि उक्त व्यक्ति को धारा-37 के अधीन पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को एक वर्ष की अवधि के साधारण कारावास का दंडादेश देगा।

(5) प्रथम बार के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा तुरत जुर्माना भुगतान करने में असमर्थ होने तथा राशि की व्यवस्था के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने के लिए अनुरोध करने की दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे तबतक ऐसी अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में सुपुर्द करेगा जब तक दोषसिद्ध व्यक्ति जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था न कर ले। जुर्माने की राशि के भुगतान के तुरत बाद उक्त व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा।

(6) ऐसी शास्ति, विचारण यदि कोई हो, के परिणाम को ध्यान में रखे बिना विशेष न्यायालय के समक्ष वापसी योग्य नहीं होगी।

(7) जहाँ आरोपी शराब पीते हुए या नशे की अवस्था में पाए जाने के अलावा कुछ शराब/मादक द्रव्य को रखे हुए पाया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यदि कलक्टर द्वारा प्राधिकृत हो, अधिनियम की धारा-57 और 57क के अधीन उक्त शराब/मादक द्रव्य को नष्ट करवा सकेगा। कोई वाहन/परिसर जहाँ से उक्त शराब/मादक द्रव्य बरामद किया गया हो वह इस अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंध के अनुसार विभिन्न कार्यवाही के रूप में शास्ति या अधिहरण के अधीन होगा।

10. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 18 के पश्चात् एक नया नियम 18क का अन्तःस्थापन:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 18 के पश्चात् एक नया नियम 18क निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा :-

“18क. विशेष न्यायालयों से धारा-37 के अधीन मामलों का अंतरण:- (1) इस अधिनियम के संशोधन के अनुसरण में धारा-37 के अधीन अपराध अब ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदत्त हो। ऐसे मामले अब विशेष न्यायालयों में दाखिल नहीं किए जायेंगे।

(2) कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के नाम के साथ उनकी अधिकारिता की अनुशंसा तुरत राज्य सरकार से करेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार इन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए पटना उच्च न्यायालय को प्रस्ताव भेजेगी।

(3) जब पटना उच्च न्यायालय इन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को शक्तियाँ प्रदान कर देगा तब इन नियमों के प्रख्यापित होने की तिथि से विशेष न्यायालयों के समक्ष धारा-37 के अधीन लंबित ऐसे सभी मामले को जिला मजिस्ट्रेट ग्रहण कर लेगा। इस प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे मामलों की एक सूची बनाएगा। मामलों की ऐसी सूचीबद्धता और ग्रहण करने का कार्य पटना उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट तब इन मामलों को ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को वितरित करेगा जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त हों।

(5) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इन अंतरित मामलों का निपटान करेंगे। ऐसे अंतरित मामलों में जहाँ अभियुक्त पहले ही 30 दिनों का कारावास भोग चुके हों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सम्यक् रूप से समन जारी करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों को बंद कर देगा। जहाँ कहीं अभियुक्त 30 दिनों का

कारावास पूरा नहीं किया हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को समन जारी कर सकेगा तथा निदेशानुसार ऐसी शास्ति की राशि को जमा करने के अधीन कार्यवाहियों को बंद कर सकेगा।

(6) उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इन कार्यपालक दण्डाधिकारी को शक्ति प्रदान करने तक विशेष न्यायालय 01 अप्रैल, 2022 को अथवा उसके बाद धारा-37 के अधीन दायर वादों की सुनवाई पूर्व की भाँति जारी रखेगा। वह ऐसे शास्ति/दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा जैसा कि नियम-18 में वर्णित है। विशेष न्यायालय 01 अप्रैल, 2022 के पूर्व दायर वादों को नियम-18, सह-पठित उपरोक्त खण्ड-(5) के अनुसार निपटारा तब तक करता रहेगा जब तक इन वादों का कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

11. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 18क के पश्चात् एक नया नियम 18ख का अन्तःस्थापन:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 18क के पश्चात् एक नया नियम 18ख निम्न रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

“18ख. धारा-37 से भिन्न सभी मामलों के लिए गिरफ्तारी और अन्वेषण आदि:- इस अधिनियम और इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और बिहार पुलिस मैनुअल के उपबंध धारा-37 को छोड़कर उन सभी मामलों पर लागू होंगे जिनका संबंध गिरफ्तारी, आदि से हों।”

12. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 19 का प्रतिस्थापन:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 का नियम 19 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“19. इस अधिनियम की धारा-54 (2) के अधीन किए गए अपराध की दशा में जमानत :- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-436 का उपबंध इस अधिनियम की धारा-54 की उपधारा (2) के अधीन पहली बार किए गए अपराध की दशा में जमानत के लिए लागू होगा। किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने के लिए पहचान स्थापित करने हेतु सम्बद्ध व्यक्ति को विधिमाम्य फोटो के साथ जमानतनामा प्रस्तुत करना होगा।”

प्रपत्र IV

वाहन/सवारी को छोड़ने के लिए प्रपत्र

(नियम 12क देखें)

सेवा में,

कलक्टर या प्राधिकृत पदाधिकारी
जिला

1. आवेदक का नाम
2. उम्र
3. पिता का नाम
4. पता
5. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक अभियुक्त के रूप में नामित है या नहीं
6. वाहन से बरामद शराब की मात्रा (पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के अनुसार)
7. वाहन/सवारी जिसे छोड़ा जाना है का ब्यौरा (संख्या, मॉडल)
8. वाहन बीमा : बीमाकृत मूल्य (रूपये में) वर्ष

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित उपर्युक्त सूचना सही है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त वाहन का स्वामी हूँ और मेरे वाहन को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए (तिथि) को (स्थान) में जब्त कर लिया गया था। **वाहन के मेरे स्वामित्व के समर्थन में, मैं वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और बीमा दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।**

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने हेतु मैं इच्छुक हूँ। मैं जाँच में पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष स्वयं तथा वाहन को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। मैं विचारण, यदि कोई हो, में भी विशेष न्यायालय के समक्ष सहयोग करूँगा।

मैं समझता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट मेरे आवेदन पर अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किया है की राशि वापसी योग्य नहीं है और भविष्य में मैं कभी इसका दावा नहीं करूँगा।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि वाहन पुनः किसी अपराध में शामिल नहीं होगा और मैं बिहार राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के प्रवर्तन में सक्रिय रूप में सहयोग करूँगा।

मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा बिना भय या प्रपीड़न के उपर्युक्त आवेदन कर रहा हूँ।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रपत्र V
परिसर को छोड़ने के लिए प्रपत्र
(नियम 12ख देखें)

सेवा में,

कलक्टर या प्राधिकृत पदाधिकारी
जिला

1. आवेदक का नाम
2. उम्र
3. पिता का नाम
4. पता
5. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक अभियुक्त के रूप में नामित है या नहीं
6. परिसर से बरामद शराब की मात्रा (पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के अनुसार)
7. परिसर जिसे छोड़ा जाना है का ब्यौरा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित उपर्युक्त सूचना सही है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त परिसर का स्वामी/संयुक्त स्वामी हूँ और मेरे परिसर को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए (तिथि) को (स्थान) में जब्त कर लिया गया था। **परिसर के मेरे स्वामित्व के समर्थन में, मैं परिसर का भूमि का दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।**

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने हेतु मैं इच्छुक हूँ। मैं जाँच में पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं उक्त परिसर के निरीक्षण की अनुमति दूँगा। मैं विचारण, यदि कोई हो, में भी विशेष न्यायालय के समक्ष सहयोग करूँगा।

मैं समझता हूँ कि शास्ति की राशि वापसी योग्य नहीं है और भविष्य में मैं कभी इसका दावा नहीं करूँगा।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि परिसर पुनः किसी अपराध में शामिल नहीं होगा और मैं बिहार राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के प्रवर्तन में सक्रिय रूप में सहयोग करूँगा।

मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा बिना भय या प्रपीड़न के उपर्युक्त आवेदन कर रहा हूँ।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रपत्र VI
पुलिस पदाधिकारी/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच
(नियम 18 देखें)

सेवा में,

कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जिला

विषय :- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन अभियुक्त (अभियुक्त का नाम) के विरुद्ध की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त नाम का अभियुक्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन गिरफ्तार किया गया था। उसका ब्यौरा निम्न रूप में है :-

1. अभियुक्त का नाम
2. उम्र
3. पिता का नाम
4. पता
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान
6. पहचान का प्रमाण : (आधार कार्ड संख्या, पैन संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, ए टी एम कार्ड आदि)
7. अभियुक्त का पेशा
8. क्या अभियुक्त पहली बार धारा-37 के अधीन गिरफ्तार किया गया है या वह पूर्व में धारा-37 के अधीन गिरफ्तार किया जा चुका है।
9. अपराध का ब्यौरा

.....
.....
.....
.....

10. प्रार्थना : मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता हूँ कि
क. अभियुक्त को यथोचित जुर्माना भुगतान करने का दंडादेश दिया जाय
या
ख. अभियुक्त को कारावास का दंडादेश दिया जाय
(जो आवश्यक न हो उसे काट दें)

तिथि/स्थान

(उत्पाद/पुलिस पदाधिकारी)
का हस्ताक्षर

प्रपत्र VI क
अभियुक्त का समर्पण
(नियम 18 देखें)

1. अभियुक्त का नाम
2. उम्र
3. पिता का नाम
4. पता
5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित उपर्युक्त सूचना सही है। मैं संस्वीकार करता हूँ कि मैं शराब पीते या नशे की अवस्था में दिनांक-..... को(स्थान) में पकड़ा गया था। मेरी चिकित्सीय जाँच/श्वसन विश्लेषण जाँच करायी गयी थी, जिससे संपुष्ट हुआ था कि मैंने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित दंड भोगने का इच्छुक हूँ। मैं जाँच में पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं स्वयं को पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का वचन देता हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं अपराध को नहीं दोहराऊँगा और बिहार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध के प्रवर्तन में सक्रियतापूर्वक सहयोग करूँगा।

मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा और बिना भय या प्रपीड़न के उपर्युक्त बयान दे रहा हूँ।

(अभियुक्त का हस्ताक्षर)

(मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त का उपर्युक्त बयान मेरे समक्ष दिया गया है और यह अभियुक्त को पढ़कर समझा दिया गया है तथा अभियुक्त ने इसे सही समझकर हस्ताक्षर किया है।

(मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर)

प्रपत्र VII
आदेश-पत्र के लिए फॉर्मेट
(नियम 18 देखें)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में,

केस नं०

राज्य बनाम

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम

2. उम्र

3. पिता का नाम

4. पता

5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक-..... को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे संपुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।
इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन.....
रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर.....दिनों के कारावास
भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट-सह-
न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी)

.....

तिथि
स्थान

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 5th April 2022

No. 11/Utpad Niti- 01-03/2021/2458--In exercise of the powers conferred under Section-95 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 the Government of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Prohibition & Excise Rules, 2021: -

1.Short title, extent and commencement: -

- (1) These rules may be called The Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Rules, 2022.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- (3) It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall apply to all pending cases.

2. Substitution of Rule 12 (Sealing of Premises) of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - Rule 12 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 shall be substituted by the following: -

"12. Sealing of Premises: - (1) If any offence is or has been committed in any premises (whole or part thereof) under the Act, any officer within the meaning of Section-73 of the Act may immediately seal the premises (whole or part thereof).

"Immediately" here means that sealing should be done in the course of the raid itself. In any case, sealing shall be done within 24 hours of the institution of First Information Report.

(2) Sealing shall be reported to the Collector within 24 hours of the sealing.

(3) If the premises used, is a temporary structure which cannot be effectively sealed, the police/excise officer shall, as soon as possible after obtaining the order of the Collector, demolish the temporary structure.

(4) Where any intoxicant is or has been manufactured, bottled, distributed, collected, stored, sold, purchased, imported, exported or transported in any premises or part thereof, such premises shall be fully sealed.

(5) As far as possible, only that portion or private residential premises which has been used for committing offence shall be sealed and not the whole premises or entire residence.

(6) Where any residential premises or part thereof is being used to provide facility to consume intoxicant(s) to other persons, such premises shall be compulsorily sealed."

Explanation:-If a premises is consisting of multi-unit with different ownership only the specific unit where the offence has been committed shall be liable for sealing.

3. Insertion of a new Rule 12A after Rule 12 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 12A shall be inserted after rule 12 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"12A. Release of Vehicles, Conveyance etc. on Payment of Penalty: - (1) If any vehicles, conveyance, vessel, animal etc. has been seized by any police or excise officer under the Act, then in terms of section-57B (1) of the Act, the Collector or an officer authorized by him upon receipt of an application in Form IV by the owner of the said conveyance or vehicle etc., may release the said conveyance or vehicle upon payment of such penalty as may be ordered by the Collector or the officer authorized by him.

Provided, where it is not possible to ascertain the owner of the vehicle or the owner is not coming to claim the vehicle, the Collector or the officer authorized by him, after waiting for 15 days from the date of seizure, shall proceed to confiscate and auction the vehicle as per the provisions of the Act.

(2) The penalty shall be 50% of the latest insured value of vehicle/conveyance. The insured value is the value of the vehicle as assessed by the insurance company. Where, the insured value is not available or the Collector or the officer authorized by him has reason to believe that the vehicle is undervalued, he shall get the valuation done by the District Transport Officer and 50% of that value shall be the amount of penalty.

In any case, the Collector shall not wait beyond 15 days from the date of seizure and if during this period, the accused/owner does not pay up the penalty, he shall proceed with the confiscation/auction.

(3) Notwithstanding above, if on a report by police officer or excise officer, the Collector or the officer authorized by him is satisfied that releasing the vehicle or conveyance shall not be in the public interest, he shall proceed ahead with the confiscation of the said vehicle or conveyance and its subsequent auction/disposal.

(4) Where the conveyance is such that its valuation/insurance is not possible, the Collector or the officer authorized by him shall impose such fine as he deems fit. While imposing such fine, the Collector or the officer authorized by him shall have due regard to the economic status of the individual, nature of his involvement in the crime and the quantum of intoxicant recovered.

(5) Such penalty shall be, regardless of the outcome of the trial if any, before the Special Court, non-refundable.

(6) The owner of the vehicle/conveyance shall, after the release of the vehicle/conveyance, produce the vehicle/ conveyance as and when required by the authorities.

[*Explanation:* In all pending/ongoing cases of confiscation/ auction of vehicles, the Collector or the officer authorized by him may give an opportunity to the existing owner to pay the aforesaid penalty and get the vehicle released. Upon satisfaction about ownership and upon payment of such penalty, the ongoing confiscation/auction proceeding may be dropped and the vehicle released.]"

4. Insertion of a new Rule 12B after Rule 12A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 12B shall be inserted after rule 12A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"12B. Release of Premises on Payment of Penalty: - (1) If any premises or part thereof has been seized or sealed by any police or excise officer under the Act, then in terms of section-57B (2) of the Act, the Collector or an officer authorized by him, upon receipt of an application in Form V from the owner of the said premises, may release or unseal the said premises or part thereof upon payment of such penalty as may be ordered by the Collector or the officer authorized by him.

Provided, where it is not possible to ascertain the owner of the premises or the owner is not coming forward, the Collector or the officer authorized by him shall, after waiting for 15 days from the date of seizure/sealing, proceed to confiscate the premises as per the provisions of the Act.

(2) The Collector or the officer authorized by him shall have due regard to the economic status of the individual, nature of his involvement in the crime, location of the premises and the quantum of intoxicant recovered while deciding the quantum of fine to be paid by the individual. However, the fine shall not be less than Rs. one Lakh in any case.

In any case, the Collector shall not wait beyond 15 days from the date of seizure/sealing and if during this period, the accused/owner does not pay up the penalty he shall proceed with the confiscation/auction.

(3) Notwithstanding above, if on a report by police officer or excise officer, the Collector or the officer authorized by him is satisfied that releasing the premises shall not be in the public interest, the Collector or the officer authorized by him shall proceed ahead with the confiscation of the said premises or part thereof and its subsequent auction/disposal.

(4) Such penalty shall be, regardless of the outcome of the trial if any, before the Special Court, non-refundable.

(5) The owner of the Premises shall, after the release of the premises, allow the inspection of the premises as and when desired by the authorities.

[Explanation: In all pending/ongoing cases of confiscation/auction of premises, the Collector or the officer authorized by him may give an opportunity to the existing owner to pay the aforesaid penalty and get the premises released. Upon satisfaction of ownership and upon payment of such penalty, the ongoing confiscation/auction proceeding may be dropped and the premises released.]"

5. Substitution of Rule 13 (Seizure of animal/vehicle/vessel/other conveyance) of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - Rule 13 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 shall be substituted by the following: -

"13. Confiscation of Premises/Vehicles etc. when not released on penalty: - Whenever the Collector or officer authorized by him finds that it is not appropriate or not possible to release the vehicle/premises on payment of penalty or when the owner/accused fails to deposit the penalty within two weeks of seizure/sealing of such vehicle/premises, he shall proceed to confiscate and auction the same in terms of rule 13A, rule 13B and rule 14."

6. Insertion of a new Rule 13A after Rule 13 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 13A shall be inserted after rule 13 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"13A. Procedure of confiscation of vehicle/conveyance etc.: -
(1) Where it is decided by the Collector that the vehicle is not to be released on penalty or where the owner does not pay the required penalty, the confiscation proceeding shall be initiated. The proposal for confiscation of the conveyance shall be sent by the police/excise officer to the Collector (or an officer authorized by him) within 30 days from the date of seizure. The officer concerned shall immediately start the confiscation proceeding.

In case of delay of beyond 30 days, in submission of the proposal for confiscation, the police/excise officer will have to explain the delay.

(2) The officer concerned, on receipt of proposal for confiscation of any vehicle(s) or other conveyances from police/excise officer, shall issue show cause notice to owner of the said vehicle or the vessel or other conveyance. Simultaneously, he shall issue notice to the District Transport Officer and the Chemical Examiner for their reports.

(3) Such notice issued by the officer shall be served as per procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 for service of summons. He shall obtain report from the District Transport Officer or any authority authorized for the purpose of registration of the conveyance and the report of chemical examiner within 30 days of seizure.

(4) The officer shall provide reasonable opportunity of hearing to the owner. The investigating/inquiry officer shall also be given opportunity to participate in such hearing.

(5) If, on the date fixed for hearing, the person(s) to whom the notice has validly been served fail(s) to appear in the proceeding on two

consecutive dates fixed for hearing, the confiscating authority shall proceed to pass the order ex-parte.

(6) The officer, after hearing the parties, on satisfaction that an offence has been committed in terms of the Act, shall pass appropriate order with respect to seized vehicle or vessel or conveyance as the case may be.

(7) The officer shall ensure that the order for confiscation is passed within 90 days from the date of seizure of the vehicle.

(8) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under the provisions of the Act may file appeal in the manner prescribed under these Rules."

7.Insertion of a new Rule 13B after Rule 13A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 13B shall be inserted after rule 13A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"13B. Procedure of confiscation of Premises: - (1) Where it is decided by the Collector that the premises is not to be released on penalty or where the owner does not pay the required penalty, the confiscation proceeding shall be initiated. The proposal for confiscation of the premises shall be sent by the police/excise officer to the Collector (or an officer authorized by him) within 30 days from the date of seizure/sealing. The officer concerned shall immediately start the confiscation proceeding.

In case of delay of beyond 30 days, in submission of the proposal for confiscation, the police/excise officer will have to explain the delay.

(2) The officer concerned, on receipt of proposal of confiscation of any premises or part thereof or any property liable for confiscation from police/excise officer, shall issue show cause notice to the owner(s) of the premises or property. Simultaneously, he shall issue notice to the Chemical Examiner and/or such revenue officers for their reports.

(3) Such notice issued by the officer shall be served as per procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 for service of summons.

(4) The officer shall provide reasonable opportunity of hearing to the owner(s) of the premises or property. The investigating/inquiry officer shall also be given opportunity to participate in such hearing.

(5) If the person to whom notice has validly been served fails to appear in the proceeding on two consecutive dates fixed for hearing, the confiscating authority shall proceed to pass the order ex-parte.

(6) The officer shall, after hearing the parties, pass appropriate order of confiscation or unsealing, as the case may be, with respect to sealed/seized premises or property on the basis of his satisfaction whether an offence has been committed or not in terms of the Act.

(7) The officer shall ensure that the order for confiscation is passed within 90 days from the date of seizure/sealing of the premises.

(8) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under the provisions of the Act may file appeal in the manner prescribed under these rules."

8. Substitution of Rule 14 (Disposal of seized/confiscated things) of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - Rule 14 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 shall be substituted by the following: -

"14. Auction or Destruction of Seized/Confiscated items: - The items seized/confiscated by the Collector or any officer authorized by him may be disposed of by him, either by auction or by destruction, in the following manner: -

(1) If the Collector or the officer authorized by him, is satisfied that any seized article, is liable to speedy and natural decay or is of trifling value or can be put to misuse or endangering public safety or occupying public space, he may, in exercise or power under Section-57 and Section-57A of the Act, order for destruction of the same at any time before passing the order of confiscation. The Collector or the officer concerned shall ensure that any seized liquor should not be allowed to remain stored for a very long time. He shall ensure that the said liquor is destroyed within 15 days of its seizure after having obtained the report of the chemist.

(2) The confiscated animal/vehicle/vessel/other conveyance premises or part thereof shall be put to public auction and sold to the highest bidder within a period of one month from the date of attainment of finality of order of the confiscating authority or such extended period as deemed fit by the Collector/authorized officer or may be put government use in the manner prescribed.

(3) Before the auction, the Collector or the officer may cause the valuation of the vehicle/conveyance/premises. He shall then invite bid through public advertisement in at least one local/vernacular newspaper. Where he does not receive any offer for a particular item in the first attempt of auction, he may invite bids again. If, after three such attempts, he does not receive any bid, he may dispose of the said vehicle/conveyance on an "as is where is" basis regardless of the valuation.

Explanation: - The word "finality" in sub-rule (2) above connotes the date of order of Excise Commissioner passed under Section-92 of the Act."

9. Substitution of Rule 18 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - Rule 18 (of Chapter 10- Procedure for Arrest and Prosecution) of Bihar Prohibition and Excise Rules 2021 shall be substituted by the following: -

"18. Arrest and Enquiry etc. for consumption of liquor: - (1) Whenever a person is arrested for the first time, under section-37 of the Act, the person shall be immediately produced before the duly authorized Executive Magistrate by the police officer or the excise officer.

(2) The concerned police officer or excise officer shall conduct an enquiry and submit a report in Form VI. While conducting the enquiry, the officer concerned shall ascertain the identity of the accused, his ID Proof etc. and shall mention whether the accused has cooperated during the arrest, subjected himself to medical examination or breath analysis and whether he was found creating public nuisance or indulging in violent behavior.

(3) Based on the report, and the deposition made by the accused in Form VIA before the Executive Magistrate, the accused may be sentenced by the Executive Magistrate to pay a fine not less than Rs. 2,000 but not exceeding Rs. 5,000 or undergo simple imprisonment for a period of 30 days in case the accused refuses to pay. Order sheet format is indicated at Form VII for the use of the Executive Magistrate.

Provided that where the police/excise officer, in his report prays that the accused be not released on payment of fine and gives reasons for the same, the Executive Magistrate, subject to his satisfaction, shall then commit the accused for simple imprisonment of 30 days.

(4) If a person is arrested under section-37 of the Act and where it comes to the notice of the Executive Magistrate that the said person has been previously convicted under section-37, then the Executive Magistrate shall, based on the report of the police/excise officer, sentence the accused to undergo simple imprisonment for a period of one year.

(5) In case the person convicted for the first time is unable to pay the fine immediately and requests time of few days to arrange the amount, the Executive Magistrate shall commit him to judicial custody till such period the convicted person arranges to pay the fine. The said person shall be released immediately after he pays up the fine.

(6) Such penalty shall be, regardless of the outcome of the trial if any, before the Special Court, non-refundable.

(7) Where the accused, apart from being found drinking liquor or inebriated, is found to be in possession of some liquor/intoxicant, the Executive Magistrate, if authorized by the Collector, may cause the said liquor/intoxicant to be destroyed as per Section-57 and Section-57A of the Act. Any vehicle/premises from where the said liquor/intoxicant has been recovered, shall be subjected to penalty or confiscation, by way of a different proceeding, as per the provision of the Act and these rules.

10. Insertion of a new Rule 18A after Rule 18 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 18A shall be inserted after rule 18 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"18A. Transfer of cases under Section-37 from Special Courts: -

(1) Pursuant to the amendment in the Act, offences under Section-37 shall now be disposed of by the Executive Magistrates who have been conferred the powers of the Judicial Magistrate Second Class by the Patna High Court. Such cases shall no longer be filed before the Special Courts.

(2) For the purpose of conferment of the powers to the Executive Magistrates, the District Magistrate shall immediately recommend such names of the Executive Magistrates, along with their Jurisdiction, to the State Government. The State Government shall then send the proposal to the Patna High Court for conferment of powers to these Executive Magistrates.

(3) After the Patna High Court confers the powers to these Executive Magistrates, the District Magistrate shall take over all such cases under Section-37 pending before the Special Courts as on the day of promulgation of these rules. For that purpose, the District Magistrate shall, in consultation with the District & Sessions Judge, make a list of such cases. Such enlistment and taking over of the cases shall be done within 30 days from the date of conferment of powers by the Patna High Court.

(4) The District Magistrate shall then distribute these cases to such Executive Magistrates as are duly empowered by the Patna High Court.

(5) The Executive Magistrates shall dispose of these transferred cases in terms of the provisions of the Act. In such transferred cases, where the accused have already undergone 30 days of imprisonment, the Executive Magistrate may close such proceedings after issuing due summons to the accused. Where ever, the accused have not completed 30 days of imprisonment, the Executive Magistrate may issue summons to the accused and subject to his depositing such penalty as directed, close the proceedings.

(6) Till such time as the Patna High Court confers the powers to these Executive Magistrates, the Special Courts shall continue to look after cases under Section-37 filed on or after 1st April 2022. They shall be competent to impose such penalty/punishment as mentioned in Rule 18. For cases filed before 1st April 2022, the Special Court shall continue to dispose them as per Rule 18 read with clause (5) above, till the Executive Magistrates take over these cases.

11. Insertion of a new Rule 18B after Rule 18A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - A new rule 18B shall be inserted after rule 18A of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 as under: -

"18B. Arrest and investigation etc. for all cases other than Section 37: - Save as otherwise expressly provided in the Act and these rules, the provisions of Criminal Procedure Code, 1973, Indian Evidence Act, 1872 and the Bihar Police Manual shall be applicable for all cases, other than Section-37, with regard to arrests, investigation, submission of charge sheet, supervision etc."

12. Substitution of Rule 19 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: - Rule 19 of Bihar Prohibition and Excise Rules 2021 shall be substituted by the following: -

"19. Bail in case of an offence committed under Section-54 (2) of the Act: - The provision of Section 436 of Criminal Procedure Code, 1973 shall be applicable for bail in case of an offence committed for the first time under sub-section (2) of Section-54 of the Act. To

establish the identity of the person to be released on bail, the concerned person has to furnish valid photo identity card along with the bail bond."

Form IV
Application for Release of Vehicle/Conveyance

(See Rule 12 A)

To,
The Collector or the Authorized Officer,
-----District.

1. Name of the Applicant: -
2. Age: -
3. Father's Name: -
4. Address: -
5. Whether the applicant is named accused in the FIR or not: -
6. Amount of liquor recovered from the vehicle (As per Police/Excise Officer): -
7. Details (Number, Model) of the Vehicle/Conveyance to be released: -
8. Vehicle Insurance: - Insured Value (In Rs.) ----- Year---

I declare that above information submitted by me is correct. I declare that I am the owner of the said vehicle and my vehicle was seized on.....(date) at(location) for violation of the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016. ***In support of my ownership of the vehicle, I am enclosing the Registration Certification and Insurance documents of the vehicle.***

I further declare that I am willing to pay such penalty as imposed by the Learned Magistrate. I also agree to cooperate with the police/excise authorities in the enquiry. I undertake to present myself and the vehicle before the police/excise authorities or the Court of the Learned Magistrate whenever required. I shall also extend cooperation in the trial, if any, before the Special Court.

I understand that the Learned Magistrate, in his jurisdiction has imposed penalty on my application, which is non-refundable and I shall not claim it at any point of time in future.

I further declare that the vehicle shall not be again involved in any offence and I shall actively cooperate in enforcement of total prohibition in the State of Bihar.

I am making the above application out of my own free will and without fear or coercion.

(Signature of the Applicant)

Form V
Application for Release of Premises

(See Rule 12 B)

To,
The Collector or the Authorized Officer,
-----District.

1. Name of the Applicant: -
2. Age: -
3. Father's Name: -
4. Address: -
5. Whether the applicant is named accused in the FIR or not: -
6. Amount of liquor recovered from the Premises (As per Police/Excise Officer): -
7. Details of the Premises to be released: -

I declare that above information submitted by me is correct. I declare that I am the owner/joint owner of the said premises and my premises was sealed on.....(date) at(location) for violation of the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016. ***In support of my ownership/joint ownership of the premises, I am enclosing the Land documents of the Premises.***

I further declare that I am willing to pay such penalty as imposed by the Learned Magistrate. I also agree to cooperate with the police/excise authorities in the enquiry. I undertake to present myself before the police/excise authorities or the Court of the Learned Magistrate whenever required. I shall allow inspection of the said premises as and when required. I shall also extend cooperation in the trial, if any, before the Special Court.

I understand that the penalty is non-refundable and I shall not claim it at any point of time in future.

I further declare that the premises shall not be again involved in any offence and I shall actively cooperate in enforcement of total prohibition in the State of Bihar.

I am making the above application out of my own free will and without fear or coercion.

(Signature of the Applicant)

Form VI
Enquiry by the Police Officer/Excise Officer

(See Rule 18)

To,
The Executive Magistrate,
----- District.

Subject: -Regarding action to be taken against the accused (Name of accused)under Section 37 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.

Sir,

The above-named accused was arrested under Section 37 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016. His details are as under: -

1. Name of the Accused: -
2. Age: -
3. Father's Name: -
4. Address: -
5. Date, Time & Place of Arrest: -
6. Proof of ID: - (Aadhar Card Number, PAN Number, Driving license, ATM Card etc.)
7. Profession of the accused: -
8. Whether the accused has been arrested first time under Section 37 or has he been previously arrested under Section 37: -
9. Details of the offence: -

10. Prayer: - I pray before the Learned Court that
 - a. The accused be sentenced to pay a suitable fine. **OR**
 - b. The accused be sentenced to imprisonment.
(Strike off which is not required)

Date/Place: - (Signature of the Excise/Police Officer)

Form VIA
DEPOSITION OF THE ACCUSED
 (See Rule 18)

1. Name of the Accused: -
2. Age: -
3. Father's Name: -
4. Address: -
5. Date, Time & Place of Arrest: -

I declare that above information submitted by me is correct. I confess that I was caught drinking or in inebriated condition on.....(date) at(location). I was subjected to medical examination/breath analysis test which confirmed that I had consumed alcohol/liquor.

I further declare that I am willing to undergo such punishment as imposed by the Learned Magistrate. I also agree to cooperate with the police/excise authorities in the enquiry. I undertake to present myself before the police/excise authorities or the Court of the Learned Magistrate whenever required.

I further declare that I shall not repeat the offence and shall actively cooperate in enforcement of total prohibition in the State of Bihar.

I am making the above statement out of my own free will and without fear or coercion.

(Signature of the Accused)

(Signature of the Magistrate)

Certified that the above statement of the accused is made before me and the same is read out and explained to the accused and the accused understood and signed it as correct.

(Signature of the Magistrate)

Form VII
Format for Order Sheet

(See Rule 18)

IN THE COURT OF EXECUTIVE MAGISTRATE,

Case no.....

State vs.

Under Section 37 of Bihar, Prohibition and Excise Act, 2016.

1. Name of the Accused: -
2. Age: -
3. Father's Name: -
4. Address: -
5. Date, Time & Place of Arrest: -
6. Date of Submission of enquiry report by police/excise officer: -

Perused the above-mentioned enquiry report submitted by the police/excise officer. Today, the police/excise officer have produced the above said accused. I hereby take cognizance under section 37 of Bihar, Prohibition and Excise Act, 2016.

The charge against the accused person is that the accused has consumed alcohol on(date) and was caught at (location). The accused was subjected to medical examination/breath analysis test which confirmed that the accused had consumed alcohol/liquor.

The above charge was read out and explained to the accused person. I have recorded his deposition.

The accused was asked to state whether he pleads guilty.

He pleads guilty. I am prima facie satisfied that the charge against him is well founded.

The accused person is therefore sentenced to pay a sum of Rs..... or in default of payment of the said amount to undergo

imprisonment for days under Section 37 of Bihar,
Prohibition and Excise Act, 2016.

Executive Magistrate cum
Judicial Magistrate, Second Class

.....

Date: -

Place: -

By the order of Governor, Bihar
K. K. Pathak,
Additional Chief Secretary
to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 181-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>